



कलेक्टर ने सुनीं 99 आवेदकों की समस्याएं

नवभारत न्यूज
भिण्ड, 26 मई। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जिले के विभिन्न अंचलों से अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को

इलाज, बिजली बिल, पेंशन एवं जमीन कब्जे से जुड़े मामलों पर दिए कार्रवाई के निर्देश

लेकर पहुंचे 99 आवेदकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत भिण्ड एवं अपर कलेक्टर द्वारा भी आवेदकों की



समस्याओं की सुनवाई कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।
विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों पर हुई सुनवाई :

जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान गंभीर बीमारी के इलाज, विद्युत बिलों में सुधार, हैण्डपंपों के संधारण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सड़क दुर्घटना सहायता, हितग्राही मूलक योजनाओं, बीपीएल

राशन कार्ड एवं जमीन पर अवैध कब्जे से संबंधित अनेक आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का समयसीमा में निराकरण

सुनिश्चित किया जाए तथा की गई कार्रवाई से संबंधित आवेदकों को भी अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाना चाहिए।

समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश : कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।

1 जून से अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी



नवभारत न्यूज
भिण्ड, 26 मई। अंतर क्षेत्र के अंतर्गत हरिदास दैपुरिया की पत्नी स्वर्गीय सुशीला देवी की गधन्य हत्या के मामले में अब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ित परिवार एवं पूर्व सैनिक संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मामले में पुलिस की कथित निष्क्रियता और जांच में हो रही देरी के विरोध में पूर्व सैनिक संगठन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। पूर्व सैनिक संगठन एवं पीड़ित परिवार के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को भिंड कलेक्टर, एसडीएम तथा

देहात थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में चेतावनी दी गई कि यदि जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो 1 जून 2026 से पुलिस अधीक्षक कार्यालय भिंड के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया जाएगा।
न्याय की मांग को लेकर बढ़ रहा आक्रोश : पूर्व सैनिक संगठनों का कहना है कि घटना को लंबा समय बीत जाने के बावजूद मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिससे पीड़ित परिवार खुद को असुरक्षित और उपेक्षित महसूस कर

सांप के बच्चे के साथ क्रूरता करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, दो की तलाश जारी



नवभारत न्यूज
भिण्ड, 26 मई। अंतर क्षेत्र के परा गांव के पास सांप के बच्चे के साथ क्रूरता कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में भीम आर्मी के चंबल संभाग संयोजक देशराज धारिया सहित गोविंद सिंह और भयंकर सिंह शामिल हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो : अंतर रेंजर कृतिका

शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में कुछ युवक सांप के बच्चे को घायल कर उसे उल्टा लटकाकर तमाशा बनाते दिखाई दे रहे थे। वीडियो सामने आने के बाद वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की थी।
पूछताछ में सामने आए अन्य आरोपियों के नाम : वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य

आरोपी देशराज धारिया को परा गांव के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने दो अन्य साथियों गोविंद सिंह और भयंकर सिंह के नाम बताए। इसके बाद वन विभाग ने दोनों आरोपियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में गिरफ्तार कर लिया। रेंजर कृतिका शुक्ला ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की गई थी। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें मेहगांव जेल भेजने के आदेश दिए गए। वन विभाग के अनुसार मामले में अभी दो आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन्य जीवों के साथ क्रूरता करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।



नवभारत न्यूज
भिण्ड, 26 मई। गोहद चौराहा थाना पुलिस ने फरार अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए 5 हजार रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार

कर जेल भेज दिया है। आरोपी

लंबे समय से पुलिस को दे रहा था चकमा

घटना के बाद से लगातार फरार

चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी।

पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा द्वारा जिले में फरार एवं इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए सभी थाना प्रभारियों को विशेष अभियान

चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक एवं एसडीओपी गोहद महेंद्र गौतम के मार्गदर्शन में थाना गोहद चौराहा पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया।
पानी की टंकी के पास से दबोचा आरोपी : गोहद चौराहा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि फरार आरोपी सूरज जाटव पुत्र श्यामलाल जाटव उम्र

27 वर्ष निवासी लक्ष्मीनारायण का पुरा गोरमी, गोहद चौराहा क्षेत्र के साईं पुरम कॉलोनी स्थित पानी की टंकी के पास मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस अब मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

जान से मारने की धमकी के मामले में था फरार

टीआई रामनरेश यादव ने बताया कि 8 अप्रैल 2025 को फरियादी गजेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा आरोपी जयवीर जाटव, रामरूप जाटव, दीपू जाटव, अनिल जाटव एवं सूरज जाटव निवासी लक्ष्मीनारायण का पुरा थाना गोरमी जिला भिंड के खिलाफ जान से मारने की धमकी एवं अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया था। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने पूर्व में आरोपी रामरूप जाटव एवं जयवीर जाटव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं आरोपी दीपू जाटव, अनिल जाटव एवं सूरज जाटव घटना के बाद से लगातार फरार चल रहे थे। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक आरोपी पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था।

जिला चिकित्सालय भिंड में स्वास्थ्य शिविर आयोजित

नवभारत न्यूज
भिण्ड, 26 मई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय भिंड में 25 मई को विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 87 गर्भवती महिलाओं की विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा

87 गर्भवती महिलाओं की हुई विशेषज्ञ स्वास्थ्य जांच, सुरक्षित मातृत्व को लेकर दिया परामर्श

स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक उपचार, परामर्श एवं जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।
सुरक्षित मातृत्व हेतु गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करने पर जोर : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.एस. यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व आश्वासन दिवस प्रत्येक माह की 9 एवं 25 तारीख को मनाया जाता है। इस



कार्यक्रम का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान करना तथा सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि शिविर के दौरान महिलाओं की आवश्यक

स्वास्थ्य जांचों की गई तथा उन्हें पोषण, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, संस्थागत प्रसव एवं नवजात शिशु देखभाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारीयां भी प्रदान की गईं।
समय पर जांच से जटिलताओं की हो रही पहचान : जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ज्योति परिहार ने बताया कि इस प्रकार

विशेषज्ञ चिकित्सकों ने दी सेवाएं
सिविल सर्जन डॉ. आर.एन. राजौरिया ने बताया कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा निजी चिकित्सकों को सहयोग भी लिया जा रहा है। इसी क्रम में वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. अंशु मिश्रा ने शिविर में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। उनके विशेषज्ञ परामर्श एवं उपचार से अनेक गर्भवती महिलाओं को लाभ मिला।

वरिष्ठ पत्रकार महेश मिश्रा की मौसी स्व. कांती देवी का निधन

नवभारत न्यूज
भिंड/मेहगांव, 26 मई। जिले के ग्राम मेहदौली निवासी एवं वरिष्ठ पत्रकार महेश मिश्रा तथा शिवकुमार मिश्रा की पुंन्य मौसी माता स्वर्गीय कांती देवी का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वे

ग्राम मेहदौली में नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई

लगभग 80 वर्ष की थीं। मंगलवार सुबह 9:15 बजे उनके दिव्यलोक गमन का समाचार मिलते ही परिवार, रिश्तेदारों एवं क्षेत्रवासियों में शोक की लहर व्याप्त हो गई। स्वर्गीय कांती देवी अपने सरल स्वभाव, स्नेहपूर्ण व्यवहार एवं पारिवारिक मूल्यों के लिए क्षेत्र में विशेष सम्मान रखती



थीं। उनके निधन से परिवार सहित समूचे क्षेत्र में गहरा दुःख व्याप्त है।
ग्राम मेहदौली में हुआ अंतिम संस्कार : परिवारजनों के अनुसार स्वर्गीय कांती देवी का अंतिम संस्कार मंगलवार सायंकाल ग्राम मेहदौली, तहसील गोरमी, जिला भिण्ड में संपन्न

रही। उनके निधन से परिवार सहित समूचे क्षेत्र में गहरा दुःख व्याप्त है।
ग्राम मेहदौली में हुआ अंतिम संस्कार : परिवारजनों के अनुसार स्वर्गीय कांती देवी का अंतिम संस्कार मंगलवार सायंकाल ग्राम मेहदौली, तहसील गोरमी, जिला भिण्ड में संपन्न

जनसुनवाई में फूटा ग्रामीणों का गुर्रसा

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 26 मई। जिला मुख्यालय पर मंगलवार को हुई जनसुनवाई में ग्रामीणों और पीड़ित परिवारों ने प्रशासन के सामने समस्याओं का अंबार लगा दिया। पानी संकट से लेकर पंचायत भ्रष्टाचार और फर्जी बैंक खातों के जरिए रकम हड़पने जैसे गंभीर मामलों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। ग्राम गद्दीबरोदे की आदिवासी कॉलोनी से पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव की नल-जल योजना वर्षों से बंद पड़ी है। महिलाएं और बच्चे निजी बोर से पैसे देकर पानी लेने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सचिव और सरपंच ने बोर और हैंडपंपों के नाम पर फर्जी बिल लगाकर राशि निकाल ली, लेकिन जमीन पर कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही। वहीं ग्राम पंचायत खोरघार के ग्रामीणों ने पंचायत में

करोड़ों के विकास कार्यों और योजनाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच और सोशल ऑडिट की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि वे पहले भी साक्ष्यों सहित शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

जनसुनवाई में उमरीखुर्द निवासी रानी तिवारी ने भी चौंकाने वाला मामला उजागर किया। महिला ने आरोप लगाया कि उपार्जन केंद्र पर बेचे गए गेहूं की भुगतान राशि उसके खाते में आने के बजाय किसी फर्जी फिनो पेमेंट बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई और यूपीआं की जरिए रकम निकाल ली गई। इसके अलावा थैलासिमिया पीड़ित बच्चों के परिजनों ने ट्रिपल ब्लड फिल्टर उपलब्ध कराने की मांग उठाई। प्रशासन ने सभी शिकायतों पर जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है।

कर जेल भेज दिया है। आरोपी

लंबे समय से पुलिस को दे रहा था चकमा

घटना के बाद से लगातार फरार

स्कूल संचालक ने लगाए ब्लैकमेलिंग के आरोप

नवभारत न्यूज
शिवपुरी, 26 मई। करैरा नगर स्थित आईडियल कैब्रिज हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक संजीव कुमार श्रीवास्तव ने अनुविभागीय अधिकारी करैरा को जनसुनवाई में शिकायत सौंपते हुए एक पत्रकार दारा सिंह भदौरिया पर गंभीर

स्कूल संचालक ने जनसुनवाई में दिया आवेदन

आरोप लगाए हैं। आवेदन में उन्होंने कहा है कि ग्राम खेरा घाट स्थित उनकी भूमि के नामांतरण, सीमांकन एवं डायवर्सन संबंधी मामलों को लेकर पत्रकार द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था तथा एक लाख रुपये की रिश्तत की मांग की जा रही थी।

शिकायतकर्ता के अनुसार उनकी भूमि का नामांतरण, सीमांकन एवं डायवर्सन विधिवत हो चुका है और भूमि के कुछ हिस्सों का विक्रय भी किया जा

चुका है। इसके बावजूद संबंधित पत्रकार द्वारा लगातार ब्लैकमेल करने एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा था। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उन्होंने 23 मई 2026 को इस संबंध में थाना प्रभारी करैरा को शिकायत दी थी। शिकायत के बाद पत्रकार द्वारा उनके विद्यालय की मान्यता एवं संचालन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विभिन्न समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित करए जा रहे हैं, जिससे विद्यालय की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। संजीव कुमार

श्रीवास्तव ने बताया कि उनका विद्यालय वर्ष 1997 से नगर में संचालित है तथा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि लगातार प्रकाशित हो रही खबरों के कारण विद्यालय प्रबंधन, स्टाफ, छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों में चिंता और असंतोष का माहौल है। स्कूल संचालक ने एसडीएम से मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित पत्रकार के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने तथा उन्हें मानसिक प्रताड़ना से राहत दिलाने की मांग की है।

कर जेल भेज दिया है। आरोपी

लंबे समय से पुलिस को दे रहा था चकमा

घटना के बाद से लगातार फरार